बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संoसंo –FSC/04/2011- .... पटना,दिनांक– 2026

विभागीय अधिसूचना संख्या–244(15बी), दिनांक–10.07.2026 द्वारा बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) के अधीन कार्यरत/पदस्थापित 07 (सात) सहायक अभिहित अधिकारियों को विहित वेतनमान (वेतन स्तर–09) के साथ अभिहित अधिकारी (राजपत्रित) का उच्चतर प्रभार दिया गया है।

2. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश तथा राज्यहित में उक्त नवअधिसूचित अभिहित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अन्तर्गत बनी विभिन्न नियमावलियों को राज्य में प्रभावी ढ़ंग से लागू कराने हेतु नियमानुसार अभिहित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्ति करते हुए संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र में अभिहित अधिकारियों की शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु पदस्थापित किये जाने का विषय राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

3. सम्यक विचोरापरांत राज्यहित एवं कार्यहित में नवअधिसूचित 07 (सात) अभिहित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–36(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपनियम–2.1.2(1) में वर्णित अर्हत्ता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–36(1) के अधीन अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–36(3) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उप नियम–2.1.2(2) में प्रदत्त पदीय शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु उनके नाम के सामने अंकित स्तंभ–04 में वर्णित राज्य क्षेत्र/जिला के लिए अभिहित अधिकारी के कार्यो के निर्वहन हेतु. स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए अभिहित अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है :–

क्रम संo	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन एवं आवंटित कार्यक्षेत्र	नव पदस्थापन जिला/ नव आवंटित कार्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	**श्री अनिल कुमार** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (मुंगेर)	रोहतास (मुo), कैमूर एवं बक्सर	सहरसा **अतिरिक्त प्रभार** मधेपुरा एवं सुपौल
2.	**श्री मुकेश जी कश्यप** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (पटना)	गया (मुo), नालंदा, पटना एवं भोजपुर	मुजफ्फरपुर **अतिरिक्त प्रभार** पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली

3	**श्री नारायण राम** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (औरंगाबाद)	सारण (मु०), सिवान एवं गोपालगंज	सारण **अतिरिक्त प्रभार** सिवान एवं गोपालगंज
4.	**मो० एकबाल** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (समस्तीपुर)	भागलपुर (मु०), बॉका, कटिहार एवं बेगूसराय	पूर्णियॉ **अतिरिक्त प्रभार** कटिहार, किशनगंज एवं अररिया
5.	**श्री अशोक कुमार सिन्हा** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (पटना)	दरभंगा (मु०), मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा एवं मधेपुरा	मुंगेर **अतिरिक्त प्रभार** जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं बाँका
6.	**श्री जितेन्द्र प्रसाद** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (पटना)	पूर्णियॉ (मु०), किशनगंज, अररिया एवं सुपौल	दरभंगा **अतिरिक्त प्रभार** मधुबनी एवं समस्तीपुर
7.	**श्री सुदामा चौधरी** सहायक अभिहित अधिकारी सम्प्रति अभिहित अधिकारी (जहानाबाद)	मुजफ्फरपुर (मु०), सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं वैशाली	पटना **अतिरिक्त प्रभार** नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं कैमूर (भभुआ)

4. उक्त सभी अभिहित अधिकारियों को अपने आवंटित कार्यक्षेत्र के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय–1 के उप नियम–1.2.1(7) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority) घोषित किया जाता है।

5. वर्त्तमान में श्री अजय कुमार, सहायक अभिहित अधिकारी (संविदा), नवादा (मुख्यालय), जहानाबाद एवं औरंगाबाद के पद पर कार्यरत है एवं कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अभिहित अधिकारी के कृत्यों का भी निर्वहन कर रहे है। राज्यहित एवं कार्यहित को ध्यान मे रखते हुए वर्त्तमान में अभिहित अधिकारी की कार्य अधिकता तथा न्यून संख्या बल को ध्यान में रखते हुए इन्हें सहायक अभिहित अधिकारी गया और अरवल के रिक्त पद के विरूद्ध अतिरिक्त प्रभार देते हुए अपने ही मानदेय में अभिहित अधिकारी के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यकारी व्यवस्था के तहत उक्त अंकित पाँचों जिला के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

6. उक्त सभी नवपदस्थापित पदाधिकारियों को आदेशित है कि बिना प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये नव पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग / खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. सभी नवपदस्थापित पदाधिकारियों के वेतन/मानदेय का भुगतान नवपदस्थापन स्थल वाले मुख्यालय जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

8. पूर्व से निर्गत एतद् संबंधी सभी आदेश/अधिसूचना इस हद तक संशोधित/उत्क्रमित समझा जायेगा।

9. उपर्युक्त आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(कुमार रवि)
सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 296(15B) **पटना/दिनांक – 10/08/ 2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ०डी०ए० भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार/सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/कोषांग/श्री धनंजय कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– राज्य नोडल पदाधिकारी, खाद्य संरक्षा, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्त्ता –सह– न्याय निर्णायक पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/सभी खाद्य विश्लेषक, बिहार/सभी अभिहित अधिकारी/सभी सहायक अभिहित अधिकारी/सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/8/26

सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।